महत्वपूर्ण एवं खास

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

रायपुर (आरएनएस)। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय प्रार्थिया ने आजाद चौक थाना में शिकायत किया कि उसका परिचित आरोपी चंद्रकुमार देवांगन से था। आरोपी रायपुर में किराए पर रहता है। इस दौरान वह प्रार्थिया को रायपुर बुलाकर शादी का झांसा देकर अलग-अलग होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। मोवा पुलिस ने शराब दुकान के पास चाकू लेकर आतंक फैलाते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार मोवा पुलिस को सूचना मिली कि शराब दुकान के पास आरोपी कुलेश्वर फरिकार 24 वर्ष चाकू लेकर आम लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चाकू जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू जब्त कर आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

प्रेशर आईईडी में घायल महिला की मौत

बीजापुर (आरएनएस)। माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक निर्दोष ग्रामीण महिला की मौत हो गई है। महिला का नाम सुशीला सोढ़ी (40 वर्ष) है, जो सोढ़ीपारा उसूर की निवासी थी। वह महुआ बिनने के लिए बोत्तामरका पहाड़ी गई थी, जहां माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी से गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना शाम लगभग 5:30 बजे की है। महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसूर लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर, 2024 से अब तक माओवादियों द्वारा लगाए गए ढ्ढश्वष्ठ की चपेट में आने से 7 निर्दोष ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माओवादियों की इस कायराना करतूत ने कई परिवारों को अपनों से वंचित कर दिया है। कभी किसी वृद्ध मां-बाप का सहारा, तो कभी किसी मासूम बच्चे के सिर से माता-पिता का साया उठ जाता है।

पांच साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार

धमतरी (आरएनएस)। धमतरी पुलिस सायबर टीम द्वारा नगरी के एक्सीडेंट के प्रकरण में 05 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वाष्र्णेय के दिशा निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों द्वारा जिले के फरार आरोपियो एवं स्थायी वारंटियो के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार सायबर टीम को मुखबिर से सूचना मिली की थाना नगरी के एक्सिडेंट के मामले में पिछले पांच सालों से फरार दा.प्र. क्र.472/ 21 एवं अपराध क्रमांक 007/20 धारा 379भादवि. के आरोपी स्थायी वारंटी बलवंत गौरिया पिता कमल गौरिया उम्र 25 वर्ष, निवासी भटगांव,थाना रूद्री निवासी को अपने गांव घर आया हुआ है। सूचना पर तत्काल सायबर प्रभारी निरी सन्नी दुबे द्वारा अपने टीम के साथ रवाना हुए और स्थायी वारंटी के घर में होने की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

खरोरा में हुई डकैती के मामले का खुलासा,15 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

जिले के खरोरा थाने में बीते 27 मार्च की रात हुई डकैती के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से डकैती की सोने-चांदी के जेवरात, नगदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त हथियार व अन्य सामान जब्त किया है। वहीं डकैती में शामिल तीन आरोपी अभी फरार है जिनकी पतासाजी की जा रही है। व्यवसायिक मनमुटाव के चलते मुख्य आरोपी ने डकैती का प्लान बनाया था और इस प्लान में एक-एक कर डेढ़ दर्जन लोग जुड़ गये और डकैती को अंजाम दिया।

बता दें कि खरोरा के ग्राम केवराडीह में रहने वाले राधेलाल भारद्वाज ने थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 27.03.2025 की रात्रि प्रार्थी, उसकी पत्नी, मां, पुत्र, पुत्री, बहू एवं बहू की छोटी बहन सभी मकान के अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। प्रार्थी जिस कमरे में सोया था उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। इसी दौरान रात्रि लगभग 2.05 बजे 07 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति हाथ में तलवारनुमा हथियार एवं बटननुमा चाकू लेकर प्रार्थी के मकान में प्रवेश कर उसके कमरे में जाकर प्रार्थी को उठाये तब वह देखा तो अलग - अलग 03 व्यक्ति अपने हाथ में तलवारनुमा हथियार, बटननुमा चाकू एवं पिस्टलनुमा हथियार रखें थे तथा 04 व्यक्ति कमरे के दरवाजा के सामने परछी में हाथ में तलवारनुमा हथियार लेकर खडे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति प्रार्थी के कनपटी पर पिस्टल टिका कर बोला जितना पैसा, सोना-चांदी है जल्दी दे दो, शोर मत करना नहीं तो गोली मार दूंगा एवं दो व्यक्ति उसके उपर तलवारनुमा हथियार को ताने खडे थे और जल्दी से पैसा, सोना चांदी निकालो कहकर उनमें से एक व्यक्ति तलवारनुमा हथियार से प्रार्थी पर वार किया तो उसके द्वारा अपने हाथ से रोकने पर उसके दायें हाथ के पंजा का उपर भाग में कट कर चोट लगा। नकाबपोश व्यक्ति प्रार्थी की पत्नी को भी सोते से उठाकर उस पर हथियार तान कर कमरे में रखें आलमारी व पेटी का चाबी प्रार्थी की पत्नि से लेकर आलमारी व पेटी को खोलकर उसमें रखें सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को लूट लिये तथा प्रार्थी के दोनों पैर को रस्सी से बांधकर दूसरे कमरे की तलाशी लिये और शोर मचाओगे तो मार देंगे कहकर मकान के पीछे दरवाजा से भाग गये, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात नकाबपोश आरोपियों के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 182/25 धारा 310(2), 331(6) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं घटना का स्थल का निरीक्षण कर क्राईम ब्रांच एवं थाना खरोरा पुलिस की 10 विशेष टीमों का गठन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण करने के उपरांत प्रार्थी, उसकी पत्नि एवं परिवार के अन्य सदस्यों से घटना के संबंध में तकनीकी रूप से विस्तृत पूछताछ करने के साथ तत्काल थानों एवं सरहदी जिलों में नाकेबंदी लगायी गयी, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम एव क्राईम ब्रांच की टेक्निकल टीम को साक्ष्य जुटाने हेतु लगाया गया। साथ ही आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किया गया। क्राईम ब्रांच की टेक्निकल टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी. टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का बारिकी से अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। तकनीकी विश्लेषणों सहित अन्य माध्यमों से अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को तिल्दा नेवरा निवासी जितेन्द्र पाठक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा जितेन्द्र पाठक की पतासाजी कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर जितेन्द्र पाठक द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर क्राईम ब्रांच की अलग - अलग टीम के सदस्यों द्वारा मुंगेली, कबीरधाम, बलौदा बाजार, महासमुंद एवं रायपुर से प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ रेड कार्यवाही करते हुये पूछताछ के आधार पर प्रकरण में कुल 15 आरोपियों को पकड़ा गया। पूरे घटना का मास्टर माइंड आरोपी देवराज डहरिया निवासी ग्राम केवराडीह थाना खरोरा है। आरोपी देवराज डहरिया का पूर्व में प्रार्थी राधेलाल भारद्वाज के घर आना - जाना था एवं प्रार्थी के पास जे.सी.बी., हार्वेस्टर एवं ट्रेक्टर वाहन है जिसमें वह कंस्ट्रकशन सहित अन्य कार्यो को संचालित कर कमायी करता है, जिससे प्रभावित होकर आरोपी देवराज डहरिया ने भी जे.सी.बी. मशीन/वाहन फायनेंस के माध्यम से क्रय कर लिया। जिससे आरोपी एवं प्रार्थी के मध्य व्यवसायिक मनमुटाव हो गया तथा दोनों एक-दूसरे से बात करना बंद कर दिसे। आरोपी देवराज डहरिया द्वारा प्रार्थी के उन्नति को देखकर जलन की भावना व द्वेष रखता था प्रार्थी के घर डकैती करने की योजना बना डाली। आरोपी देवराज डहरिया से ईश्वर रामटेके एवं सोना बारमते उर्फ सोनू से संपर्क कर उन्हें बताया कि राधेलाल भारद्वाज अपने घर में 40 करोड़ रूपये नगदी एवं 16 किलो सोना रखा है, चापन (घर में सोये हुये लोगों को तांत्रिक पूजा पाठ के माध्यम से गहरी नींद में बेसुध करना) के माध्यम से पैसा एवं सोना को प्राप्त करना है, जिस हेतु बैगा एवं अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जिस पर ईश्वर रामटेके द्वारा अलख निरंजन, सप्तऋ षि एवं जितेन्द्र पाठक को उक्त जानकारी दिया, कि जितेन्द्र पाठक किशन वर्मा, तिलक वर्मा एवं रूपेश साहू को उक्त जानकारी दिया तो रूपेश साहू द्वारा छत्रपाल उर्फ राजू को बताने पर छत्रपाल उर्फ राजू द्वारा पिंकू राजपूत, सूरज सेन, गज्जू चंद्रवंशी, साहिल खान, प्रकाश मिश्रा को बताया। सभी योजना के अनुसार दिनांक घटना को खरोरा में एकत्रित होकर एक साथ मिले तथा घटना क्रम को अंजाम देने हेतु 03 चारपहिया वाहन एवं 01 मोटर सायकल के माध्यम से प्रार्थी के मकान पास पहुंचे तथा अपने साथ चाकू, तलवार एवं डण्डा रखें थे। योजना के अनुसार प्रार्थी के मकान में गज्जू चंद्रवंशी, किशव वर्मा, छत्रपाल राजपूत, देवराज डहरिया, सूरज सेन, प्रकाश मिश्रा एवं 01 अन्य आरोपी के मकान अंदर प्रवेश किये एवं शेष आरोपी प्रार्थी के मकान के पीछे, सामने गेट एवं खेत की ओर रेकी कर रहे थे। इस प्रकार आरोपियों द्वारा डकैती की पूरी घटना क्रम को अंजाम दिया गया था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डकैती की सोने-चांदी के जेवरात, नगदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटर सायकल एच एफ डीलक्स क्र. सीजी/04/एल एल/3019, स्वीफ्ट वाहन क्रमांक सीजी 07 एम बी 1490, टाटा हेक्सा वाहन क्रमांक सी जी 04 एम बी 0777, वेगन आर कार क्रमांक सी जी 28 एल 9996 तथा 15 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 20 लाख रूपये जप्त किया गया है।

मामले में पुलिस ने 01 देवराज डहरिया पिता राजेन्द्र डहरिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम केवराडीह थाना खरोरा जिला रायपुर। 02 ईश्वर रामटेके पिता स्व. शंकर लाल रामटेके उम्र 66 साल निवासी प्रोफेसर कालोनी थाना पुरानी बस्ती रायपुर। 03 सप्तऋषि राज पिता स्व. विशाल राज उम्र 52 साल निवासी ग्राम भठिया थाना खरोरा जिला रायपुर। 04 अलख निरंजन रजक पिता स्व. चैत राज रजक उम्र 47 साल निवासी ग्राम अकोली थाना धरसींवा जिला रायपुर। 05 जितेन्द्र पाठक पिता रमेश पाठक उम्र 33 साल निवासी ग्राम जलसो थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर। 06 तिलक वर्मा पिता स्व. आनंद राम वर्मा उम्र 58 साल निवासी ग्राम नरदहा थाना विधानसभा जिला रायपुर। 07 किशन वर्मा पिता रामकुमार वर्मा उम्र 34 साल निवासी ग्राम बैकुण्ठ थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर। 08 रूपेश साहू पिता भीखम साहू उम्र 36 साल निवासी ग्राम लोहारसी थाना पलारी जिला बलौदा बाजार। 09 पिंकू राजपूत पिता दिलीप राजपूत उम्र 20 साल निवासी ग्राम नवगटा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम। 10 सूरज सेन पिता अशोक सेन उम्र 25 साल निवासी ग्राम व पोस्ट धरमपुरा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम। 11 छत्रपाल राजपूत उर्फ राजू पिता नारायण राजपूत उम्र 27 साल निवासी ग्राम व पोस्ट धरमपुरा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम। 12 गज्जू चंद्रवंशी पिता बलुक चंद्रवंशी उम्र 25 साल ग्राम नवघटा पोस्ट पिपरिया थाना पिपरिया जिला कवर्धा जिला कबीरधाम। 13 प्रकाश मिश्रा पिता ओम प्रकाश मिश्रा उम्र 31 साल निवासी पटवारी कालोनी थाना व जिला बलौदा बाजार। 14 साहिल खान पिता नाजिर खान उम्र 27 साल निवासी ग्राम कांपा थाना तुमगांव जिला महासमुंद। 15 सोना बारमते उर्फ सोनू पिता स्व. विश्राम बारमते उम्र 35 साल निवासी ग्राम उमरिया पोस्ट बाउली थाना सरगांव जिला मुंगेली को ड्डक्षगरफ्तार किया है वहीं 03 आरोपी फरार है, जिनकी पतासाजी की जा रही है।

नशीली टेबलेट बेचते दो युवक गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। सिविल लाइन क्षेत्र के खादी उद्योग भंडार अशोक विहार पास स्थित मैदान से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 200 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो प्रोक्सीवॉन प्लस, 2 मोबाइल फोन, 8,500 रुपये नगद और एक ज्यूपिटर वाहन (कीमत लगभग 1 लाख रुपये) जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैबी ए बेंजामिन (45) और अश्वनी पाल (40) के रूप में हुई है।

इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच की, तो खुलासा हुआ कि ये प्रतिबंधित दवाएं तरुण नगर निवासी ईरशाद खान को बेची जाती थीं। पुलिस ने ईरशाद खान को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 136 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो प्राक्सीवान प्लस और एक मोबाइल फोन (कुल कीमत 15,000 रुपये) जब्त किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि ईरशाद खान पहले भी 2014 में नारकोटिक्स एक्ट के तहत जेल जा चुका है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक रोहित मालेकर, प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक अतुलेश राय, जितेंद्र दुबे, पीयूष बघेल और कई पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में धारा 22(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

नया रायपुर: स्मार्ट सिटी से अब स्मार्टली कनेक्टेड सिटी की ओर

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नया रायपुर को ऐतिहासिक रेल कनेक्टिविटी की सौगात

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ का नया रायपुर, जो अब तक स्मार्ट सिटी के रूप में पहचाना जाता था, आज एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है – स्मार्टली कनेक्टेड सिटी के रूप में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को बिलासपुर के मोहभट्ठा ग्राम में आयोजित आमसभा और लोकार्पण शिलान्यास समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभनपुर-रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ कर नया रायपुर को भारतीय रेल नेटवर्क से सीधे जोडऩे की ऐतिहासिक शुरुआत की। इस नई मेमू सेवा के शुरू होने से अब रायपुर रेलवे स्टेशन से मंदिरहसौद, सीबीडी, केंद्री होते हुए नया रायपुर तक की यात्रा सीधी, सहज और मात्र 10 रुपये में संभव हो गई है। राज्य सचिवालय, मंत्रालय, आवासीय क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हजारों कर्मचारी, विद्यार्थी और आमजन इससे लाभान्वित होंगे।

रेल सेवा की शुरुआत से अब रायपुर रेलवे स्टेशन से मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्री होते हुए नया रायपुर तक यात्रियों के लिए सीधी और किफायती ट्रेन सुविधा उपलब्ध होगी। इसका सीधा लाभ नया रायपुर के मंत्रालय, सचिवालय, आवासीय क्षेत्रों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को मिलेगा। यह सेवा नया रायपुर को रायपुर शहर और क्षेत्रीय रेल नेटवर्क से जोडऩे की दिशा में मील का पत्थर है। यह न केवल यात्रियों के समय और धन की बचत करेगा, बल्कि नया रायपुर को आवागमन, निवेश और आवासीय विकास की दृष्टि से नई उड़ान देगा।

मेमू ट्रेन सेवा की प्रमुख विशेषताएँ:

अत्याधुनिक थ्री-फेज़ मेमू ट्रेन – उच्च गति, ऊर्जा दक्षता और आरामदायक यात्रा अनुभव

स्टॉपेज: रायपुर, मंदिर हसौद, नया रायपुर सीबीडी, केंद्री और अभनपुर

विशेषता: कुशन वाली सीटें, बड़ी खिड़कियाँ, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, जीपीएस-आधारित स्टेशन डिस्प्ले, सीसीटीवी निगरानी, बायो-टॉयलेट्स

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की 4 पूर्ण रेल परियोजनाओं (कुल लागत: 2,695 करोड़) को राष्ट्र को समर्पित किया और 7 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो आने वाले समय में राज्य के रेल नेटवर्क को और सशक्त बनाएँगी।

प्रधानमंत्री की संवेदना से खिला एक पल - एक बेटी की कला को मिला आदर और अपनापन

- एक कला, एक नजर, और एक वादा – यह क्षण बना एक प्रेरणा की मिसाल

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोहभट्ठा ग्राम में आयोजित आमसभा और लोकार्पण-शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान एक ऐसा मानवीय और भावनात्मक पल आया, जिसे सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा और दिल से सराहा।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बालिका पर पड़ी, जो उनकी पेंटिंग हाथ में उठाकर काफी देर से खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भावना को समझा, और मंच से ही उन्होंने कहा वहाँ एक बेटी पेंटिंग बना के लाई हैं, बेचारी कब से हाथ ऊपर रखे खड़ी हैं। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा। उस बेटी को... पेंटिंग के पीछे बेटा नाम-पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा इस पेंटिंग को कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आत्मीयता भरी पहल से वहां मौजूद जनता की तालियों की गडग़ड़ाहट से सभास्थल गूंज उठा। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी की सरलता और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाती है, जिससे वे हमेशा जनता के दिलों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें न सिर्फ उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ले आईं, बल्कि वहाँ मौजूद हजारों लोगों के मन को भी छू गईं। इस दृश्य ने यह भी दर्शाया कि यदि बच्चे की प्रतिभा को सही समय पर सही व्यक्ति से सराहना मिले, तो उसके मन में आत्मविश्वास और प्रेरणा के दीप जलते है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छोटा-सा लेकिन भावनाओं से भरा कदम, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को और भी अधिक मानवीय अर्थ प्रदान करता है। यह प्रतिभा का सम्मान था - और वह सम्मान मिला देश के सर्वोच्च नेता के हाथों से। एक बेटी की कला, एक प्रधानमंत्री की संवेदना – यही है नया भारत।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

बस्तर के लोकगीत, राम की कथा और संस्कृति: बस्तर अब संस्कृति के रास्ते चलेगा विकास की ओर - मुख्यमंत्री साय

- दंतेवाड़ा में गूंजेगा बस्तर के राम – डॉ. कुमार विश्वास सुनाएंगे 'बस्तर के राम' की अनुपम कथा
- बस्तर पंडुम 2025 के उद्घाटन दिवस में होगा कार्यक्रम:उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा होंगे शामिल

रायपुर । आरएनएस

बस्तर क्षेत्र की कला, संस्कृति और परंपराओं के उत्सव 'बस्तर पंडुम' में डॉ. कुमार विश्वास द्वारा बस्तर के राम कथा वाचन किया जाएगा। आगामी 3 अप्रैल को होने वाला यह आयोजन, बस्तर क्षेत्र में शांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए सोपान तय करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 को बस्तर की आत्मा से जुड़ा एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताते हुए कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की अस्मिता, आस्था और आकांक्षाओं का उत्सव है। उन्होंने कहा कि 'बस्तर के राम' जैसे कार्यक्रम बस्तर की धरती को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि विकास का सबसे सशक्त मार्ग संस्कृति और परंपरा से होकर जाता है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि यह उत्सव बस्तर को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा और हमारी जनजातीय परंपराएँ आने वाली पीढिय़ों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। उल्लेखनीय है कि दंडकारण्य क्षेत्र का रामायण काल में विशेष स्थान रहा है और राम ने अपने वनवास काल का कुछ समय दंडकारण्य के जंगलों में व्यतीत किया था। डॉ. कुमार विश्वास बस्तर क्षेत्र के परिपेक्ष्य में राम के महत्व पर अपनी राम कथा बस्तर के राम का वाचन करेंगे। बस्तर पण्डुम आयोजन में डॉ. कुमार विश्वास की वाणी में जब राम कथा की गूंज बस्तर की वादियों में फैलेगी तो इसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भावना होगी शांति, एकता और पुनर्जागरण की। इस आयोजन के माध्यम से बस्तर क्षेत्र में राम के प्रवास का स्मरण कर अपनी समृद्ध पौराणिक विरासत का अनुभव कर सकेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के राम के आयोजन पर कहा कि बस्तर पण्डुम और बस्तर के राम जैसे आयोजन बस्तर क्षेत्र को भारत और विश्व से जोड़ते एक सांस्कृतिक सेतु की तरह है, जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर क्षेत्र के समेकित विकास के संकल्प का परिचायक है। बस्तर क्षेत्र आज गर्व से साक्षी बन रहा है कि हिंसा का अंत संभव है और शांति का मार्ग संस्कृति से होकर गुजरता है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय बाहुल्य बस्तर संभाग के स्थानीय कला, संस्कृति एवं जीवन शैली संरक्षण-संवर्धन एवं प्रोत्साहन के लिए राज्य शासन द्वारा बस्तर पण्डुम 2025 का आयोजन किया जा रहा है जिसके उद्घाटन सत्र में शाम 6 बजे बस्तर के राम कार्यक्रम किया जाना निर्धारित है।